भारतीय राज्यों का सृजन :

स्वतंत्रता के समय और बाद की स्थिति

संकलनकर्ता

कु. मालती

पुस्तकालयाध्यक्ष

के.वि.चमेरा नं.1

YouTube Channel :- Malti's Library Club

For more informative articles please click below provided link

https://kvchamerano1library.wordpress.com/gk-zone/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7/

भारतीय राज्यों का सृजन : स्वतंत्रता के समय और बाद की स्थिति

15 अगस्त 1947 को एक नवनिर्मित भारत का सृजन हुआ जो माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर आधारित था |

स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत से नवनिर्मित भारत को 12 राज्य और 552 से अधिक रियासतें प्राप्त हुई, जो तीन तरह के क्षेत्रों में विभाजित थी |

1. ब्रिटिश भारत के क्षेत्र = ये लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के सीधी नियंत्रण में था |

2. देसी राज्य (Princely States)

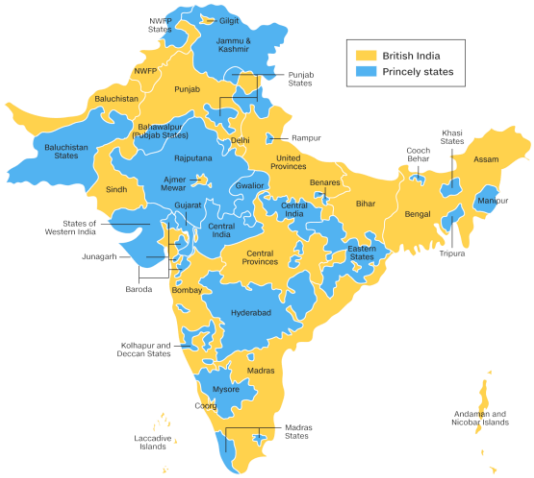

3. फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र = चन्द्रनगर,पांडिचेरी, मछलीपट्टनम, कोषिक्कोड तथा सूरत के तोज,यनम ,माहे और कराईकल जिले (फ्रांसीसी क्षेत्र), दादरा, नारोली, नगर हवेली, गोवा, दमन, दीव, अंगदीवा और इल्हा दे (पुर्तगाली क्षेत्र)|

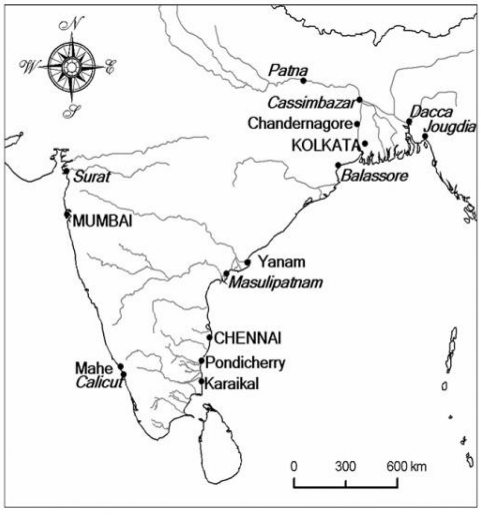

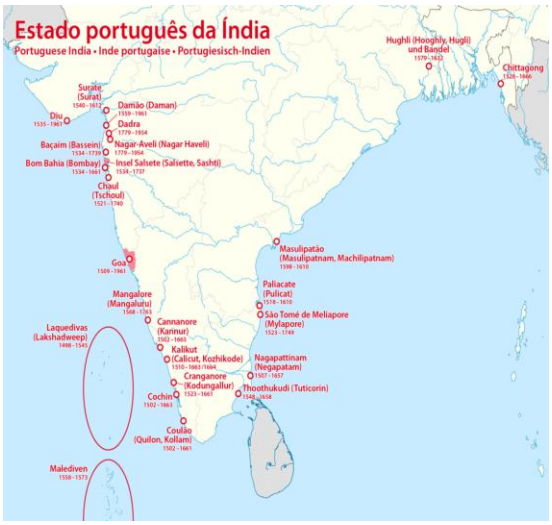

स्वतंत्रता के समय भारत में 552 रियासतें थी जिनमें से 549 स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित हो गयी जबकि जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही द्वारा (ओपरेशन पोलो) और कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से भयभीत होकर 26 अक्टूबर 1947 में भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार कर लिया |

सबसे अन्त में भारत में शामिल होने वाली रियासत भोपाल थी | नवाब हमीदुल्लाह ने 30 अप्रैल 1949 को भारत में विलीन होने के पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये और अंतत 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भी भारत का हिस्सा बन गयी |

संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की चार श्रेणियां थी क ख ग और घ |

- भाग क में भूतपूर्व ब्रिटिश भारत से प्राप्त राज्य सम्मिलित थे |
- भाग ख में विधानमंडल सहित पांच देसी रियासतों को रखा गया |
- भाग ग में पांच केंद्र शासित राज्य सम्मिलित थे |
- भाग घ में अर्जित किए गए राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया **(अर्जित राज्य क्षेत्र के रूप में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का वर्णन था)** |

1950 ई. तक संघ से संबद्ध राज्य श्रेणियों में सम्मिलित राज्यों की संख्या 29 थी जो निम्नवत थी-

- A श्रेणी में 09 राज्य **(बिहार,बंबई,असम,पश्चिम बंगाल,मध्य प्रदेश,उड़ीसा,मद्रास,पंजाब और संयुक्त प्रांत)**
- B श्रेणी में 09 राज्य **(कोचीन-त्रावणकोर, राजस्थान,हैदराबाद,मैसूर,मध्य भारत,विंध्य-प्रदेश,सौराष्ट्र,जम्मू और कश्मीर, पूर्वी पंजाब एवं पटियाला)**
- C श्रेणी में 10 राज्य **(कूच बिहार,बिलासपुर,भोपाल,अजमेर,कच्छ,दिल्ली,कुर्ग,हिमाचल प्रदेश,मणिपुर और त्रिपुरा)**
- D श्रेणी में 1 राज्य **(अंडमान व निकोबार द्वीप समूह)**

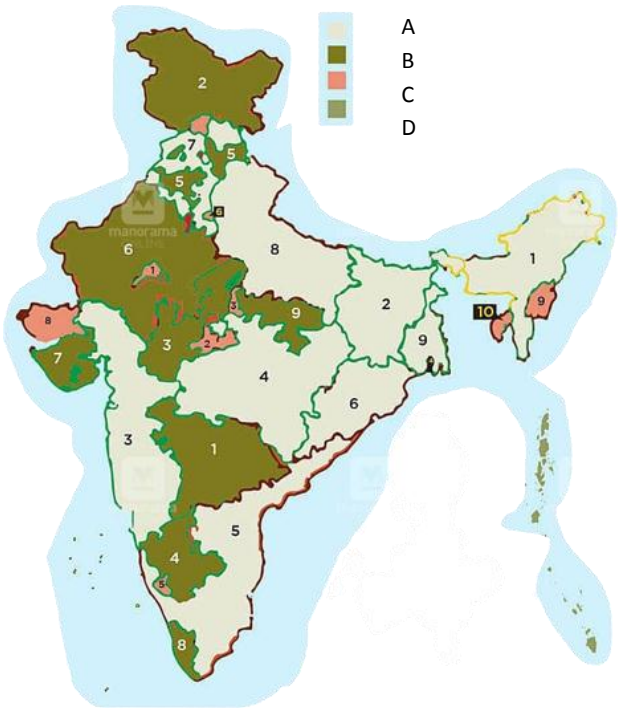

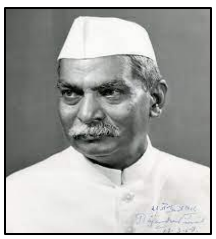

समय-समय पर भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही है, जो तत्कालीन समय के लिए आवश्यक भी थी | इसी को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन **राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 27 नवंबर 1947 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु एक भाषाई आयोग का गठन किया | 10 दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की |** इस रिपोर्ट में मातृ भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया |

तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य का समर्थन करते हुए **पोट्टी श्रीरामुल्लू ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, लेकिन 56 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात् Dec. 1952 में इनकी मृत्यु हो गयी** | फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु के द्वारा **तेलुगू भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की गई |**

इसका गठन 01 अक्टूबर 1953 को किया गया | भाषायी आधार पर गठित होने वाला यह प्रथम राज्य था | गठन का आधार उनकी भाषा और संस्कृति को रखा गया |

आंध्र प्रदेश के गठन के पश्चात अन्य भाषा भाषियों के द्वारा अलग राज्य की मांग तेज हो गई, जिसके फलस्वरूप **29 दिसंबर 1953 को एक संकल्प के द्वारा भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की | यह एक तीन सदस्यीय आयोग था | इस आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली थे | आयोग के अन्य सदस्य श्री हृदयनाथ कुंजरु व श्री के.एम. पणिक्कर थे | आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को प्रस्तुत की |**

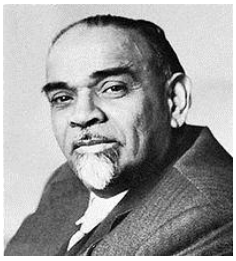

आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि -

1. राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है |
2. राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए |

आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया | इस अधिनियम के अनुसार संविधान में **7 वाँ संसंशोधन किया गया** और मूल संविधान के राज्यों की चार श्रेणी **(क,ख,ग और घ जिसमें A श्रेणी में 10 राज्य , B श्रेणी में 8 राज्य, C श्रेणी में 9 राज्य, D श्रेणी में 1 राज्य कुल 28 राज्य)** व्यवस्था को समाप्त करके दो नई श्रेणियाँ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित की गयी | **जिसके अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया |**

1956 में भारतीय राज्यों की स्थिति :-

राज्य	संघ/केंद्रशासित प्रदेश
1. आंध्रप्रदेश	15. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह
2. असम	16. दिल्ली
3. बिहार	17. लकादीव, अमीनदीवी और मिनिकॉय द्वीप समूह
4. बंबई	18.हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू-कश्मीर	19. मणिपुर
6. केरल	20. त्रिपुरा
7. मध्य-प्रदेश	
8. मद्रास	
9. मैसूर	
10. उड़ीसा	
11. पंजाब	
12. राजस्थान	
13. उत्तर प्रदेश	
14. पश्चिम बंगाल	

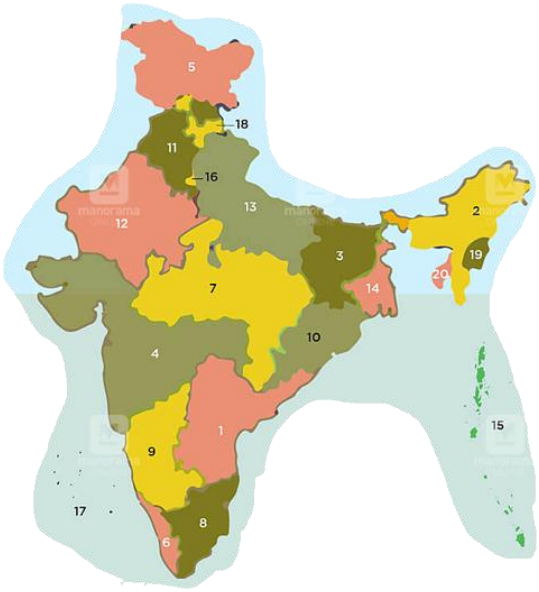

वर्ष 1950 के बाद से ही समय-समय पर विभिन्न आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन होता रहा है | **अंतिम रूप से राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 2019 में किया गया |** वर्ष 1956 के बाद से राज्यों के पुनर्गठन की स्थिति :-

केरल = 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत कोचिंग ट्रावनकोर राज्य, दक्षिण कन्नड के कसरगोड़े तथा मद्रास राज्य के मालाबार को मिलाकर केरल राज्य की स्थापना की गई |

कर्नाटक = 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मैसूर राज्य से इस राज्य का गठन किया गया 1973 में इसे कर्नाटक का नाम दिया गया |

गुजरात तथा महाराष्ट्र = 1960 मुंबई पुनर्गठन गठन अधिनियम के द्वारा मुंबई राज्य को दो भागों में बांट दिया गया मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र तथा गुजरात भाषियों के लिए गुजरात राज्य का पुनर्गठन किया गया | इस प्रकार गुजरात **भारत का 15 वां राज्य बना |**

नागालैंड = नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया | 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य की स्थापना की गई | **यह भारत का 16 वां राज्य बना |**

हरियाणा = पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब राज्य से कुछ क्षेत्रों को निकालकर हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया | **हरियाणा देश का 17 वां राज्य बना |**

हिमाचल प्रदेश = 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर केंद्रशासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, किन्तु 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया **यह देश का 18 वां राज्य बना |**

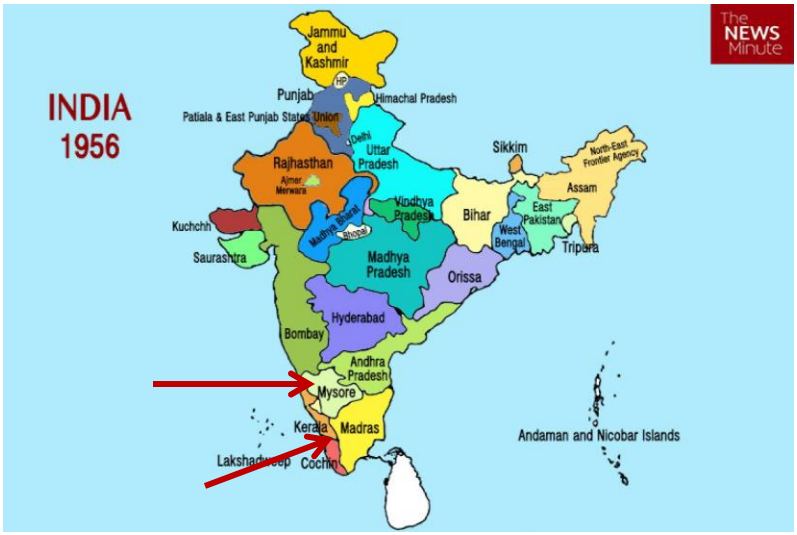

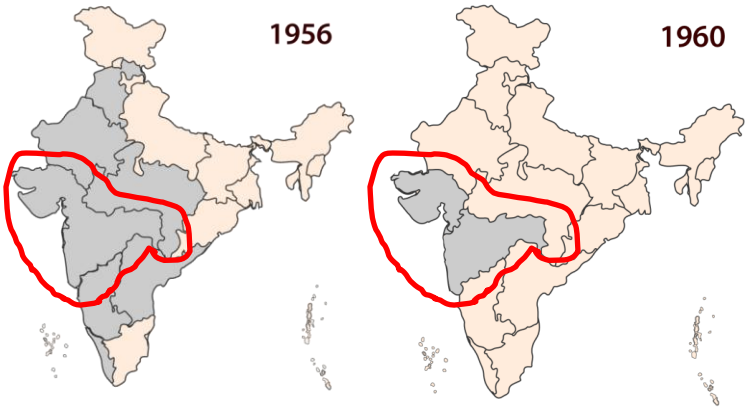

मणिपुर व त्रिपुरा = 1971 पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मणिपुर एवं त्रिपुरा संघ शासित क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया | **मणिपुर देश का 19 वां और त्रिपुरा देश का 20 वां राज्य बना |**

मेघालय = 22 वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा इसे असम के अंतर्गत एक उप राज्य बनाया गया, **लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य** का दर्जा दे दिया गया | **यह भारत का 21 वां राज्य बना |**

सिक्किम= 35वां संविधान संशोधन अधिनियम(1974) के द्वारा सिक्किम को संबंध राज्य का दर्जा दिया गया इस समय तक सिक्किम चोग्याल शासन के अंतर्गत था लेकिन 1975 में जनमत संग्रह के अंतर्गत चोग्याल शासन को समाप्त कर दिया गया और **36 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य** का दर्जा प्रदान किया गया | **यह देश का 22 वां राज्य बना |**

मिजोरम = 1986 मिजोरम राज्य अधिनियम (53वां संविधान संशोधन अधिनियम) द्वारा संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया | **यह व्यवस्था 20 फरवरी 1987 से लागू हुई इस प्रकार मिजोरम भारत का 23 वां राज्य बना |**

अरुणाचल प्रदेश = 1972 में अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश बना | 1986 के अरुणाचल प्रदेश अधिनियम (55वां संविधान संशोधन) द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया | **यह भारत का 24 वां राज्य बना जो 20 फरवरी 1987 से प्रभाव में आया |**

गोवा = गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अंतर्गत संघ शासित राज्यों गोवा, दमन और दीव में से गोवा को अलग कर एक राज्य बनाया गया | **यह भारत का 25 वां राज्य बना |**

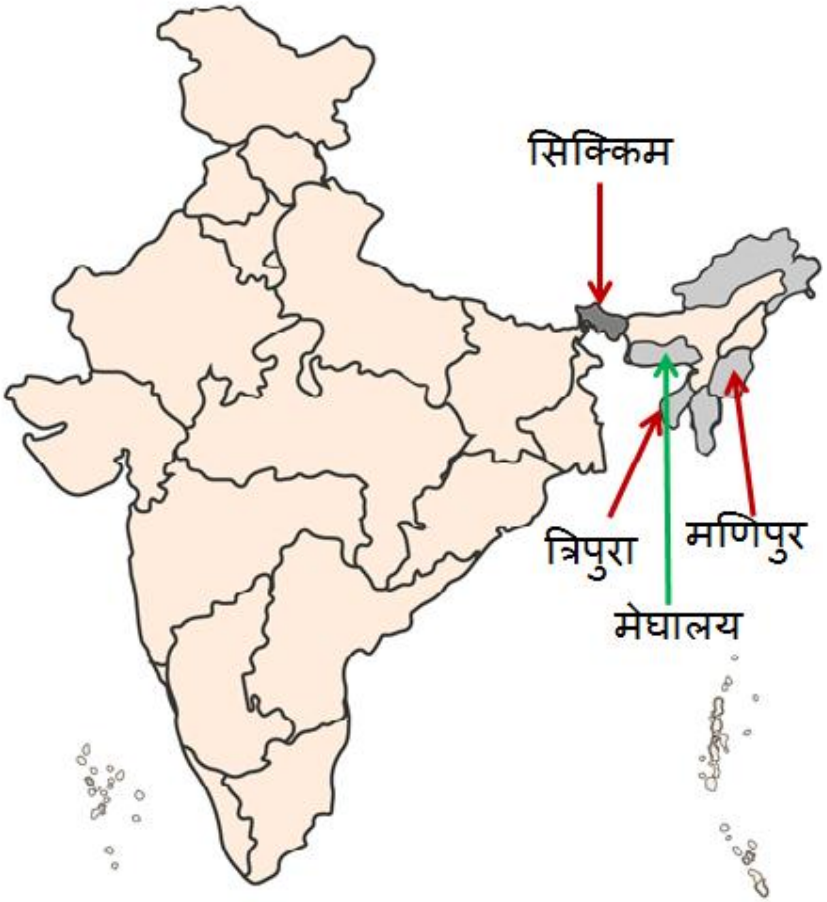

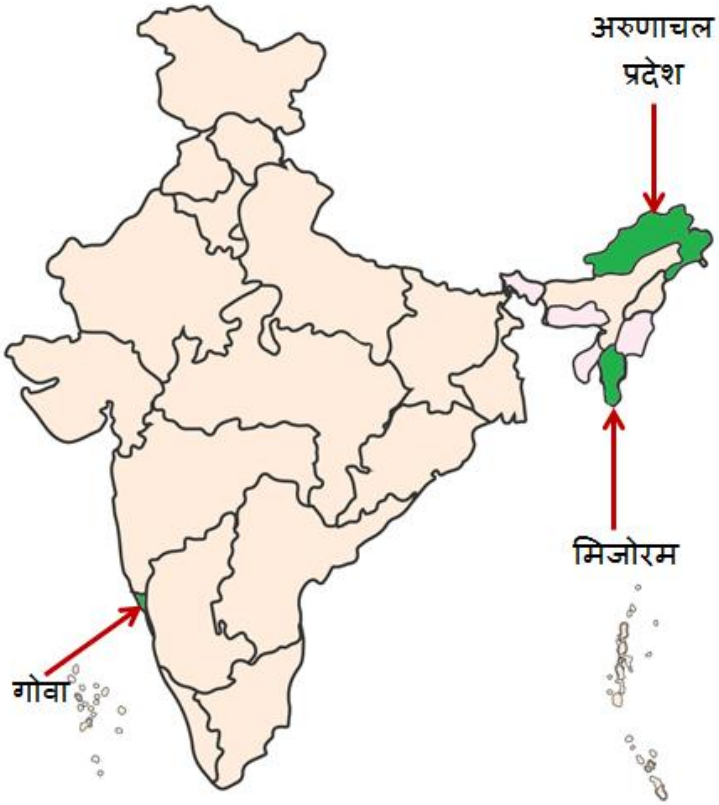

छत्तीसगढ़ = **वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश में से 16 जिलों को निकालकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़** राज्य का गठन किया गया | यह **भारत का 26 वां राज्य बना |**

उत्तराखंड = **9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को निकालकर उत्तरांचल नामक नए राज्य** का गठन किया गया| **उत्तरांचल अधिनियम (नाम परिवर्तन) 2006 के द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया**| भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार **यह 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ | यह भारत का 27 वां राज्य बना |**

झारखंड = **15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिलों को अलग करके एक नए राज्य झारखंड** का निर्माण किया गया | **यह भारत का 28 वां राज्य बना |**

तेलंगाना = 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को अलग कर देश के **29 वें राज्य तेलंगाना** का गठन किया गया |

जम्मू व कश्मीर = जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू व कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख नामक दो नयें संघशासित प्रदेशों का गठन किया गया

(नोट :- भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन का प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया गया | इस प्रस्ताव को 5 अगस्त को राज्यसभा और 6 अगस्त को लोकसभा में रखा गया | 9 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति दे दी गई | इसी के साथ जम्मू कश्मीर को प्रदत्त विशेष राज्य का दर्जा धारा 370 और 35 A समाप्त हो गया | Article 35A को 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था |

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को 5 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित किया गया | इस तरह से जम्मू - कश्मीर भारत का 8 वां और लद्दाख भारत का 9 वां केंद्र शासित प्रदेश बना | जम्मू व कश्मीर में मीरपुर और मुजफ्फराबाद सहित कुल 22 जिले हैं और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह 2 जिले शामिल हैं|

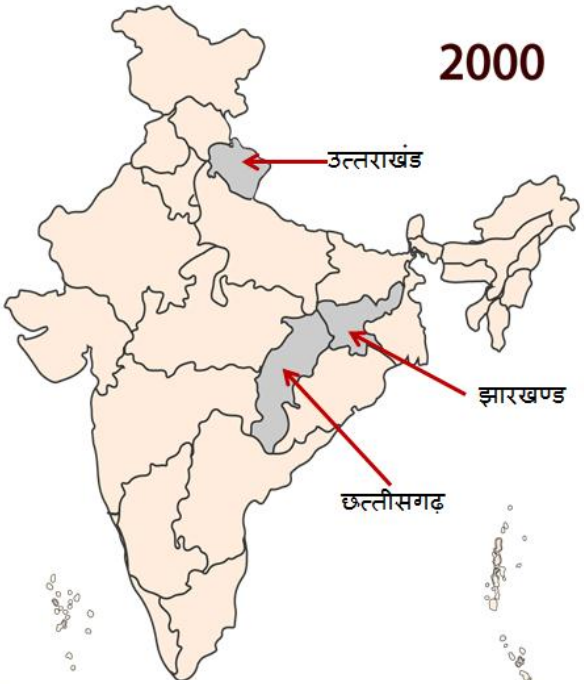

देश के पहले गृहमंत्री **सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती (31 अक्टूबर 2019) के मौके पर दोनों नव सृजित केंद्रशासित प्रदेशो का नया नक्शा भी जारी किया गया |)**

दादरा नगर हवेली एवं दमन - दीव = यहां पर पुर्तगाल का शासन था 10 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था| दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव विलयन विधेयक 2019 जिसे 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया और 26 जनवरी 2020 से यह विलय अस्तित्व में आ गया |

(नोट :- दादरा नगर हवेली और दमन दीव पुनर्गठन विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया | इस विधेयक को 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हो गया और 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद इसका विलय हो गया | यह विलय 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ | दादरा नगर हवेली का एक व दमन व दीव के 2 जिलें मिलाकर नए क्षेत्र में 3 जिलें होंगे व विधिक मामले बम्बई उच्च न्यायालय के दायरें में आयेंगे |)

भारत में इन केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संचालन भारतीय संविधान के **भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा **अनुच्छेद 239 (1)** के द्वारा किया जाता है |

भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन **संविधान के भाग 1 और 8, अनुच्छेद 1 से 4 और अनुच्छेद 239 से 241 तथा अनुसूची 1** में विस्तृत ढंग से किया गया है | संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी गतिविधियों का संचालन इसी के अंतर्गत किया जाता है |

<u>26 जनवरी 2020 के बाद से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश होंगे |</u>

References

Map source :- https://www.indianrajputs.com/i/british_india_map.png

Map source :- https://books.openedition.org/ifp/docannexe/image/3414/img-1.jpg

Map Source:- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Map_of_Portuguese_India.png/1024px-Map_of_Portuguese_India.png

Map Source- https://img-mm.manoramaonline.com/content/dam/mm/mo/news/editorial/images/2019/7/27/indian-map-1950.jpg

Image source:- Dr. Rajendra Prasad https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Rajendra_Prasad_%28Indian_President%29%2C_signed_image_for_Walter_Nash_%28NZ_Prime_Minister%29%2C_1958_%2816017609534%29.jpg

Image source:- https://bharatdiscovery.org/bharatkosh/w/images/thumb/0/0b/Potti-Sreeramulu.jpg/200px-Potti-Sreeramulu.jpg **(पोट्टी श्रीराम्ल्लू)**

Image सैयद फजल अली :- https://www.facebook.com/MuslimsOfIndiaOfficial/photos/a.150885185607221 6/1632617060362361/?type=3

Image श्री हृदयनाथ कुजरु :- https://www.jagran.com/uttar-pradesh/agra-city-hridaynath-kunjru-member-of-the-central-constitution-committee-refused-to-accept-the-bharat-ratna-21309174.html

Image श्री के.एम. पणिक्कर:- https://m.bharatdiscovery.org/bharatkosh/w/images/thumb/e/eb/KM-panikkar.jpg/200px-KM-panikkar.jpg

Map Source :-https://images.news18.com/ibnlive/uploads/2019/08/05-changing-political-map-of-india-1956.jpg

Map Source:-https://www.thenewsminute.com/article/explainer-reorganization-states-india-and-why-it-happened-52273

Map Source :- https://scroll.in/article/820359/how-the-map-india-was-redrawn-on-the-lines-of-language

Map Source :- https://nagalandgk.com/wp-content/uploads/2018/05/nagaland-map-districts-e1632068336832.jpg

Map Source :- https://scroll.in/article/820359/how-the-map-india-was-redrawn-on-the-lines-of-language

Map Source :- https://scroll.in/article/820359/how-the-map-india-was-redrawn-on-the-lines-of-language

Map Source- https://img-mm.manoramaonline.com/content/dam/mm/mo/news/editorial/images/2019/7/27/indian-map-1950.jpg

Map source:-https://img-mm.manoramaonline.com/content/dam/mm/mo/news/editorial/images/2019/7/27/indian-map-1953-56.jpg

Map Source :- https://surveyofindia.gov.in/pages/political-map-of-india

Map Source :- https://scroll.in/article/820359/how-the-map-india-was-redrawn-on-the-lines-of-language

Map Source:- https://www.adda247.com/school/political-and-physical-map-of-india/

Map Source:- https://media.istockphoto.com/id/1389015727/photo/india-map-india-monuments-environment-karachi-sindh-pakistan-march-30-2022-3d-illustration.jpg?s=612x612&w=is&k=20&c=B761GIX8bR3cCZmbj9SJ43y-DeXxS1FtHk5F3indi_k=